दिनांक 01.08.2025
प्रेस विज्ञप्ति 01/2025

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

एस0टी0एफ0–अन्तर्राज्यीय स्तर पर मादक पदार्थो की तस्करी करने वाले गिरोह का प्रमुख तस्कर गिरफ्तार।

दिनांक 01–08–2025 को एस0टी0एफ0, उत्तर प्रदेश को अन्तर्राज्यीय स्तर पर मादक पदार्थो की तस्करी करने वाले गिरोह के प्रमुख तस्कर व थाना कोतवाली देहात जनपद सुलतानपुर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 32/25 धारा 111 बी0एन0एस0 व 8/22 एनडीपीएस एक्ट एवं थाना रोहनियां वाराणसी में पंजीकृत मु0अ0सं0 63/25 धारा 111 बी0एन0एस0 व 08/22 एनडीपीएस एक्ट में वांछित अभियक्त मुकेष मिश्रा को गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण :–

मुकेश मिश्रा पुत्र दीपनारायन मिश्रा नि0 सीके 33/60 नीलकण्ठ गली, थाना चौक, वाराणसी।

गिरफ्तार अभियुक्त से कुल बरामदगी :–

1– 21,870 रूपये नगद।

2– 02 अदद मोबाइल

गिरफ्तारी का स्थान/दिनांक व समय :–

मोहनसराय अण्डरपास के पास, थाना क्षेत्र रोहनियॉ, वाराणसी दिनांक 01–08–2025

ज्ञातव्य है कि वाराणसी में ड्रग्स माफियाओं का अन्तर्राज्यीय स्तर पर एक संगठित गिरोह कार्य कर रहा है, जिनके द्वारा चरस, गांजा, हसीस, स्मैक आदि नशीले पदार्थ हिमाचल प्रदेश के मनाली, बिहार व नेपाल के बार्डर से भारी मात्रा में लाकर जनपद वाराणसी एवं आसपास के जनपदों में बेंचा जाता है। मादक पदार्थ तस्करों द्वारा यह मादक पदार्थ बसों/ट्रेनों द्वारा भी देश के विभिन्न हिस्सों में पहुंचाया जाता है। उक्त गिरोह एवं उसकी अवैध गतिविधियों पर एसटीएफ द्वारा धारातलीय एवं अन्य अभिसूचना तंत्रों के माध्यम से सतर्क दृष्टि रखी जा रही थी। जिसके क्रम में दिनांक 28–01–2025 को

एसटीएफ द्वारा इस गिरोह के 02 तस्करो संतोष कुमार झा पुत्र स्व0 रत्नेश्वर झा नि0 गडबडुवाड़ी थाना सुपौल, जनपद सुपौल बिहार व शिखा वर्मा पुत्री सरोज सेठ नि0 कंदवा थाना चितईपुर, वाराणसी को गिरफ्तार करते हुए थाना कोतवाली देहात जनपद सुलतानपुर में मु0अ0सं0 32/25 धारा 111 बी0एन0एस0 व 8/22 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत कराया गया था तथा गिरोह के सरगना देवेन्द्र कुमार मिश्रा व महेन्द्र मिश्रा उर्फ छोटू पुत्रगण स्व0 उपेन्द्र मिश्रा निवासी नीलकण्ठ (काली माता मंदिर के पास) थाना चौक, वाराणसी, मुकेश मिश्रा उर्फ श्यामा पुत्र दीपनारायन मिश्रा नि0 सीके 33/60 नीलकण्ठ गली थाना चौक, वाराणसी व अन्य को वांछित किया गया था।

उक्त गैंग पर अग्रिम कार्यवाही करते हुए दिनांक 01—03—2025 को गैंग के एक अन्य सदस्य रामबाबू पुत्र अछैवर नि0 जे 25/59 ई—2 उस्मानपुरा थाना जैतपुरा, वाराणसी को थानाक्षेत्र रोहनियां जनपद वाराणसी से गिरफ्तार कर थाना रोहनिया, वाराणसी पर मु0अ0सं0 63/25 धारा 111 बी0एन0एस0 व 08/22 एनडीपीएस एक्ट का अभियोग पंजीकृत कराते हुए देवेन्द्र कुमार मिश्रा व महेन्द्र मिश्रा उर्फ छोटू पुत्रगण स्व0 उपेन्द्र मिश्रा निवासी नीलकण्ठ (काली माता मंदिर के पास) थाना चौक जनपद वाराणसी, मुकेश मिश्रा उर्फ श्यामा पुत्र दीपनारायन मिश्रा नि0 सीके 33/60 नीलकण्ठ गली थाना चौक, वाराणसी, तनु नि0 कुल्लू हिमाचल प्रदेश व अन्य को वांछित किया गया था। देवेन्द्र कुमर मिश्रा व महेन्द्र कुमार मिश्रा को कमिश्नरेट वाराणसी पुलिस द्वारा दि0 03—05—2025 को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था।

उक्त गिरोह पर कार्यवाही के क्रम में आज दिनांक 01—08—2025 को निरीक्षक अनिल कुमार सिंह एसटीएफ फील्ड इकाई वाराणसी की टीम को सूचना प्राप्त हुई कि मु0अ0सं0 32/25 धारा 111 बी0एन0एस0 व 8/22 एनडीपीएस एक्ट थाना कोतवाली देहात जनपद सुलतानपुर व मु0अ0सं0 63/25 धारा 111 बी0एन0एस0 व 08/22 एनडीपीएस एक्ट थाना रोहनियां, वाराणसी में वांछित अभियक्त मुकेश मिश्रा उपरोक्त मनाली से ट्रेन द्वारा प्रयागराज जंक्शन आया है तथा वहां से प्राईवेट साधन से वाराणसी आयेगा। इस सूचना पर विश्वास करते हुए एस0टी0एफ0 फील्ड इकाई वाराणसी की टीम व थाना रोहनियां पुलिस टीम द्वारा मोहनसराय अण्डरपास थानाक्षेत्र रोहनियां, वाराणसी से उपरोक्त अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके कब्जे से उपरोक्त बरामदगी हुई।

उपरोक्त गिरफ्तार अभियुक्त एवं अभिसूचना संकलन से पाया गया कि देवेन्द्र कुमार मिश्रा व महेन्द्र मिश्रा पुत्रगण स्व0 उपेन्द्र मिश्रा निवासी नीलकण्ठ (काली माता मंदिर के पास) थाना चौक, वाराणसी द्वारा मुकेश मिश्रा, संतोष कुमार झां, रामबाबू व अन्य के साथ मिलकर अन्तर्राज्यीयस्तर पर मादक पदार्थों की तस्करी करने वाला संगठित गिरोह बनाया गया था। इस गिरोह द्वारा चरस, गांजा, हसीस, स्मैक आदि नशीले पदार्थ हिमाचल प्रदेश के मनाली, बिहार व नेपाल के बार्डर से भारी मात्रा में लाकर जनपद वाराणसी एवं आसपास के जनपदों में बेचा जाता रहा है। इस कार्य हेतु समय–समय पर विभिन्न डिलेवरी ब्वाय व गर्ल्स के माध्यम से मादक पदार्थ की तस्करी की जाती है। इन लोगों द्वारा हिमांचल प्रदेश के तनु से माल लिया जाता है तथा वाराणसी में लाकर मुकेश मिश्रा उर्फ श्याम व मिठ्ठू नामक डिलेवरी ब्वाय के माध्यम से वाराणसी के विभिन्न स्थानों के साथ–साथ वाराणसी के बाहर भी भेजकर भारी लाभ कमाया जाता है। देवेन्द्र मिश्रा व उसके भाई महेन्द्र मिश्रा उर्फ छोटू द्वारा मादक पदार्थ खरीदने हेतु पहले ही हिमाचल प्रदेश के डीलर तनु नामक व्यक्ति को कुछ पैसा ऑनलाइन व कुछ कैश पैसा डिलेवरी ब्वाय के माध्यम से भेजा जाता था। मादक पदार्थ वाराणसी मंगाकर सरगना देवेन्द्र कुमार मिश्रा द्वारा अपने गैंग के अन्य सदस्यों के माध्यम से वाराणसी के विभिन्न स्थानों के साथ–साथ वाराणसी के बाहर भी भेजकर भारी लाभ कमाया जाता था। देवेन्द्र मिश्रा व महेन्द्र मिश्रा के जेल में जाने के बाद गिरोह का संचालन गिरफ्तार अभियुक्त मुकेश मिश्रा द्वारा किया जाने लगा। पुनः उसी प्रकार मोबाईल में फीड नम्बरों के आधार पर मनाली के सप्लायर से मादक पदार्थ की डिलीवरी लेकर अपने कस्टमरों को माल उपलब्ध कराने हेतु कुछ दिन पूर्व मुकेश स्वयं मनाली माल लेने गया था, किसी कारणवश सप्लायर से मुलाकत न होने के कारण आज वापस वाराणसी आ रहा था कि पकड़ा गया।

उल्लेखनीय है कि उक्त गैंग के सरगना देवेन्द्र कुमार मिश्रा व महेन्द्र मिश्रा पुत्रगण स्व0 उपेन्द्र मिश्रा निवासी नीलकण्ठ (काली माता मंदिर के पास) थाना चौक जनपद वाराणसी एवं उसके गैंग के विरूद्ध कमिश्नरेट वाराणसी द्वारा गैंगस्टर एक्ट की कार्यवाही करते हुए उक्त अभियुक्तों को ड्रग्स माफिया के रूप में चिन्हित कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार उपरोक्त वांछित अभियुक्त को थाना रोहनिया जनपद वाराणसी पर पंजीकृत मु0अ0सं0 63/25 धारा 111 बी0एन0एस0 व 08/22 एनडीपीएस एक्ट में दाखिल किया गया। अग्रिम आवश्यक विधिक कार्यवाही स्थानीय पुलिस द्वारा की जा रही है।

एएनटीएफः दिनांक 01.08.25 को एएनटीएफ आपरेशनल यूनिट आगरा जोन आगरा द्वारा बिहार से अवैध मादक पदार्थ डोडा पोस्त लाकर हरियाणा क्षेत्र में तस्करी कर रहे 02 सक्रिय तस्कर को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 120 किलाग्राम डोडा पोस्त (अनुमानित अन्तर्राष्ट्रीय कीमत 30 लाख), 02 अदद मोबाइल फोन व 01 अदद टाटा ट्रक बरामद किया गया ।

पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 लखनऊ ,अपर पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था उ0प्र0, अपर पुलिस महानिदेशक अपराध उ0प्र0, लखनऊ, के मार्गदर्शन एवं पुलिस महानिरीक्षक एएनटीएफ उ0प्र0 लखनऊ के निर्देशन में पुलिस अधीक्षक आगरा द्वारा अवैध मादक पदार्थ डोडा पोस्त की तस्करी करनें वाले 02 सक्रिय तस्कर (1) मुसलम खॉंन पुत्र अब्दुल हई पता ग्राम डाडक, होडल पलवल हरियाणा (2) बलराम कुमार पुत्र सिताराम पता ग्राम हरनाही, बाराचट्टी, गया, बिहार से गिरफ्तार किया गया । अभियुक्तगण के कब्जे से 120 किलोग्राम अवैध डोडा पोस्त (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत लगभग 30 लाख रूपये), 02 अदद मोबाईल फोन व 01 अदद टाटा ट्रक बरामद कर विधिक कार्यवाही की गयी । इस सम्बन्ध में थाना रसूलपुर जनपद फिरोजाबाद पर मु0अ0स0— 354/2025 धारा 8/18/29 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत किया गया है ।

पूछताछ का विवरण—

अभियुक्तगण द्वारा पूछताछ पर बताया गया कि यह माल अपने साथी ज्ञानी सिंह से लेकर आए है जिसे असलम खान हरियाणा को देना था तभी आप लोगों ने हमें पकड़ लिया ।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण—

1. मुसलम खॉंन पुत्र अब्दुल हई पता ग्राम डाडक, होडल पलवल हरियाणा ।
2. बलराम कुमार पुत्र सिताराम पता ग्राम हरनाही, बाराचट्टी, गया बिहार ।

गिरफ्तारी का दिनांक/समय/स्थान

दिनांक—01.08.2025 समय— 02.20 बजे, स्थान— डौली बिल्डिग मैटेरियल के सामने, एन0एच0—2

बरामदगी का विवरण—

1. 120 किलोग्राम अवैध डोडा पोस्त (अनुमानित अन्तर्राष्ट्रीय कीमत लगभग 30 लाख रूपये)

2. 02 अदद मोबाईल फोन

3. 01 अदद टाटा ट्रक

गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाली टीम का विवरण–ए०एन०टी०एफ० टीम यूनिट आगरा –

1. निरीक्षक श्री हरवेन्द्र मिश्रा एएनटीएफ यूनिट आगरा जोन आगरा ।
2. मु0आ0 आशीष शुक्ला एएनटीएफ यूनिट आगरा जोन आगरा ।
3. मु0आ0 सुधीर कुमार एएनटीएफ यूनिट आगरा जोन आगरा ।
4. मु0आ0 अजीत कुमार एएनटीएफ यूनिट आगरा जोन आगरा ।
5. मु0आ0 मुकेश कुमार एएनटीएफ यूनिट आगरा जोन आगरा ।
6. आरक्षी वशीम अकरम एएनटीएफ यूनिट आगरा जोन आगरा ।

सहयोगार्थ थाना–रसूलपुर जनपद फिरोजाबाद–

1. उ0नि0 अजय अवाना
2. उ0नि0 आदित्य प्रताप
3. हे0का0 मुकेश कुमार
4. राहुल कुमार

जनपद हरदोई/थाना संडीला

- **25 हजार रूपय का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**

दिनॉकः 31.07.2025 को थाना संडीला पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर थाना क्षेत्र से पुरस्कार घोषित अभियुक्त धर्मपाल को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना संडीला पर पंजीकृत अभियोग में वॉछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना संडीला पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–धर्मपाल निवासी ग्राम नेवादा थाना कोतवाली शहर जनपद कन्नौज।

जनपद मथुरा/थाना फरह

- **पुलिस कार्यवाही में 01 अभियुक्त गिरफ्तार व 01 अभियुक्त इलाज के दौरान मृत**
- **82.2 किलोग्राम सफेद धातु की ईंट**
- **01 अवैध पिस्टल मय खोखा कारतूस**
- **01 बोलेरो वाहन आदि बरामद**

दिनांक 31.07.2025/01.08.2025 की रात्रि थाना फरह व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर ग्वालियर बाईपास पुल के पास बदमाशों की घेराबन्दी की गई तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गई आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त 1–नीरज 2–पदम उर्फ राहुल घायल हो गये, जिन्हे गिरफ्तार कर उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया। इलाज के दौरान चिकित्सक द्वारा अभियुक्त नीरज को मृत घोषित कर दिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से 82.2 किलोग्राम सफेद धातु की ईंट, 01 अवैध पिस्टल मय खोखा कारतूस, 01 बोलेरो वाहन आदि बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 29.07.2025 को थाना फरह क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात बदमाशों द्वारा लूट की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना फरह पर अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्तों की गिरफ्तारी व माल बरामदगी के प्रयास किये जा रहे थे।

इस सम्बन्ध में थाना फरह पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

मृत/गिरफ्तार अभियुक्त

1–नीरज निवासी धाना तेहरा थाना सैय्या कमिश्नरेट आगरा। (मृत)

2–पदम उर्फ राहुल निवास धाना तेहरा थाना सैय्या कमिश्नरेट आगरा। (घायल)

बरामदगी

1–82.2 किलोग्राम सफेद धातु की ईंट।

2–01 अवैध पिस्टल मय खोखा कारतूस।

3–01 बोलेरो वाहन आदि।

जनपद अलीगढ़/थाना क्वार्सी

- **अवैध शस्त्र फैक्ट्री संचालित कर रहे 04 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **10 अवैध तमंचा 315 बोर**
- **भारी मात्रा में अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण व पुर्जे आदि बरामद**

दिनांक 31.07.2025 को थाना क्वार्सी व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर जीएसपी डिवाइन होम्स काम्पलैक्स के पास से अवैध शस्त्र फैक्ट्री संचालित कर रहे 04 अभियुक्तों 1–योगेश 2–अरविन्द कुमार 3–सुभाष 4–रामप्रकाश को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से 10 अवैध तमंचा 315 बोर, भारी मात्रा में अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण व पुर्जे आदि बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं, जिसमें अभियुक्त योगेश के विरूद्ध जनपद अलीगढ़ के विभिन्न थानो में आर्म्स एक्ट आदि के 03 अभियोग एवं अभियुक्त अरविन्द के विरूद्ध जनपद अलीगढ़ के विभिन्न थानो में हत्या, चोरी, गैंगेस्टर एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि के 07 अभियोग एवं अभियुक्त सुभाष के विरूद्ध जनपद अलीगढ़ के विभिन्न थानो में हत्या का प्रयास, आर्म्स एक्ट आदि के 04 अभियोग पंजीकृत है।

इस सम्बन्ध में थाना क्वार्सी पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–योगेश निवासी ग्राम पाली थाना मडराक हालपता नगला देवी थाना महुआखेडा जनपद अलीगढ़।

2–अरविन्द कुमार निवासी ग्राम बसौली थाना गोण्डा जनपद अलीगढ़।

3–सुभाष निवासी एडीए कॉलोनी थाना सासनीगेट जनपद अलीगढ़।

4–रामप्रकाश निवासी नगला माली धनीपुर मण्डी के पास थाना गाँधीपार्क जनपद अलीगढ़।

बरामदगी

1–10 अवैध तमंचा 315 बोर।

2–भारी मात्रा में अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण व पुर्जे आदि।

कमिश्नरेट लखनऊ/थाना कृष्णानगर

- **03 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी की 10 दो पहिया वाहन आदि बरामद**

दिनांक 01.08.2025 को थाना कृष्णानगर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर शान्ति मेडिकल स्टोर के पीछे एलडीए प्रथम के पास से 03 अभियुक्तों 1—आरिफ 2—आसू 3—सलमान को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी की 10 दो पहिया वाहन आदि बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं, जिसमें अभियुक्त आरिफ के विरूद्ध कमिश्नरेट लखनऊ के विभिन्न थानो में चोरी आदि के 10 अभियोग, अभियुक्त आसू व सलमान के विरूद्ध कमिश्नरेट लखनऊ के विभिन्न थानो में चोरी आदि के 04—04 अभियोग पंजीकृत है।

इस सम्बन्ध में थाना कृष्णानगर पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—आरिफ निवासी बादलखेडा बुद्धेश्वर थाना पारा कमिश्नरेट लखनऊ।

2—आसू निवासी पुराना हैदरगंज थाना बाजारखाला कमिश्नरेट लखनऊ।

3—सलमान निवासी पुराना हैदरगंज थाना बाजारखाला कमिश्नरेट लखनऊ।

बरामदगी

1—चोरी की 10 दो पहिया वाहन आदि।

➢ **जनपद बस्ती/थाना रूधौली (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 20 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद बस्ती पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद बस्ती द्वारा थाना रूधौली पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त अजय को आजीवन कारावास व 20 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद अम्बेडकरनगर/थाना को0अकबरपुर (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 03 अभियुक्तों को 10–10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा व 32–32 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद अम्बेडकरनगर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद अम्बेडकरनगर द्वारा थाना को0अकबरपुर पर पंजीकृत अभियोग में धारा 304/325/323/504/506 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त 1–आज्ञाराम 2–अंकुर 3–अभियुक्ता को 10–10 वर्ष के सश्रम कारावास व 32–32 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

———————